60 15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 3223–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.6.12 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख, (नियमित) देवास के प्रकरण कमांक 570/अधी./भू.अ./12.

केशरसिंह पिता फतेसिंह राजपूत,
नि. ग्राम बाडोलो तह. व जिला देवास ——— आवेदक

विरूद्ध

विष्णुबाई विधवा बनेसिंह राजपूत
नि. ग्राम बाडोलो तह. व जिला देवास ——— अनावेदक

श्री एन.एस. सिसौदिया, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री देवाशीष शास्त्री, अधिवक्ता, अनावेदक ।

......

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/ 9/15 को पारित)

....

यह निगरानी अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 13–6–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बाड़ोली तहसील देवास स्थित अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 318/2 एवं 319/1 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया । उक्त आवेदन पर से तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीक्षक, भू–अभिलेख को पत्र जारी कर सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन के निर्देश दिनांक 13–1–12 को दिए । इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर अधीक्षक, भू–अभिलेख ने दिनांक 13–6–12 को अपना प्रतिवेदन तहसीलदार, देवास को प्रेषित किया । अधीक्षक, भू–अभिलेख के इसी प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन कार्यवाही पड़ोसी कृषकों को निश्चित दिनांक की सूचना दिए बिना की गई है । सीमांकन कार्यवाही में संहिता की धारा 124 की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदक ने अपने कथित आवेदनों में दोनों आवेदनों के पैरा 2 में यह उल्लेख किया है कि पूर्व में राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया था वह अपर कलेक्टर के आदेश से निरस्त हो चुका है । यह भी कहा गया कि कथित स्थल पंचनामे से कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि सीमांकन कार्यवाही किस स्थाई निशान से शुरू की गई है । कथित पंचनामे और रिर्पोट के अनुसार जो भूमि आवेदक के कब्जे मे बताई गई है उसका कोई आधार उक्त कार्यवाही में नहीं होने से उक्त सीमांकन कार्यवाही निरस्ती योग्य है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया ।

आवेदक की यह आपत्ति प्रकरण के अवलोकन से प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होती है कि सीमांकन की सूचना की उन्हें कोई विधिवत तामील नहीं हुई है । निर्धारित प्रकिया के तहत उन्हें सूचनापत्र तामील होना नहीं पाया जाता है । सीमांकन की फील्ड बुक भी अस्पष्ट है इसमें 'ए' 'बी' तथा 'सी' बिन्दु क्या हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत न होने से निरसत की जाती है तथा यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,राजस्व
मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर